

# संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व

## रायपुर-छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771-2537404, टेलीफैक्स 0771-2234731

ई-मेल : deptt\_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक 5038 अनु./स.पु./ 2021

रायपुर, दिनांक 24/11/2021

### मैनुअल पद्धति निविदा सूचना एवं शर्तें

निम्नलिखित कार्य के लिये छ.ग. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' पर मुहरबंद निविदायें PWD SOR एक जनवरी 2015 की दरों पर प्रतिशत आधार पर छ.ग. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति के अनुरूप मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक (ए.डी.) तथा स्पीड पोस्ट सर्विस द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आमंत्रित की जाती है।

मुहरबंद निविदायें समिति के सदस्य एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ ठेकेदारी पंजीयन, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, वाणिज्यकर कार्यालय का पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेंसी, इंजीनियर नियोजन पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां अनिवार्यतः प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क जो वापस योग्य नहीं है, नगद भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। आवश्यकता होने पर कार्य तथा निविदा सूचना के संबंध में आक्रियक संशोधन इस कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदा प्रस्तुत एवं खोली जावेगी।


- निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 13.12.2021 शाम 5:00 बजे तक।
- मुहर बंद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.12.2021 शाम 5:00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 21.12.2021 दोपहर 12.00 बजे।

क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि (अंक/शब्दों में)	वयाने की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र की राशि
1.	राज्य संरक्षित स्मारक किरारीगोढ़ी, जिला-बिलासपुर में अनुरक्षण कार्य।	6,55,923/- (छ: लाख पचपन हजार नौ सौ तेर्झस मात्र)	13500/-	उपयुक्त श्रेणी	कार्यालय से 50 दिवस	750.00

#### निविदा की शर्तें :-

- वयाने की राशि एफ.डी.आर./बैंक ड्राफट जो कि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महांत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाईन रायपुर छ.ग. के नाम से देय हो तथा कम से कम छ: माह की अवधि का हो जिसे निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। व्याने की राशि के अभाव में निविदा बिना खोले वापस कर दी जायेगी।
- किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आशिक रूप से स्पीकृत/अस्पीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं त्रुटियुक्त, औहर रायटिंग, अपूर्ण हस्ताक्षरित तथा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. मुहरबंद निविदाओं के प्रत्येक लिफाफे पर कार्य का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।
4. ऐसे ठेकेदार जो एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत है, उन्हे ही मान्य किया जावेगा।
5. निविदा दो अलग-अलग लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि प्राप्त नहीं होने की दशा में वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोला जावेगा।
6. विस्तृत निविदा विवरण की विशेष शर्त की कंडिका क्र.-8(1) के अनुसार प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।
7. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपरिथिति पंजी संधारित की जावेगी तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउण्ट में सीधे भुगतान करना अनिवार्य है।
8. ठेकेदार को नियोजित श्रमिकों को उपरिथिति पंजी/मस्टररोल, वेतन भुगतान पंजी, नियोजन पंजी का संधारण अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ-साथ अन्य लाभ जैसे-ओवर टाइम भत्ता, बोनस, ग्रेचुरीटी, मातृत्व हितलाभ, अवकाश, ई.इस.आई. भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लाभ देना अनिवार्य हैं।
9. परिशिष्ट 2.10 के एनेक्सर जी (स्पेशल कंडीशन ऑफ एन.आई.टी.) की कंडिका 4 (1 से 5) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात 3 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा।
10. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या इसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मुख्य निविदा राशि का 15 प्रतिशत होना चाहिए जो आवेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समायावधि का ना हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. अमानत राशि के साथ सत्यनिष्ठा संधि स्पष्ट पत्र प्राप्त नहीं होने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।
12. उपरोक्त सामान्य शर्त निविदा अनुबंध का भाग है।

(केश शाखा द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र अहर्ता प्राप्त फर्म को मांगे जाने पर जारी करने हेतु)

  
संचालक  
संस्कृति एवं भुक्तत्व